सिरफिरे युवक ने गोली मारकर युवती की निर्मम हत्या की

आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने गांव में बढ़ाई सुरक्षा

नवभारत न्यूज

पन्ना, 13 मई। कोतवाली थाना पन्ना अंतर्गत ग्राम लक्ष्मीपुर में एक सिरफिरे युवक ने अवैध कट्टे से फायर कर 25 वर्षीय युवती की निर्मम हत्या किये जाने का मामला प्रकाश में आया है जिसमें आरोपी ने बहन को बचाने आये मृतिका के भाई पर भी जानलेवा हमला किया, जिसमें वह बाल-बाल बच गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपी को कट्टे समेत गिरफ्तार कर लिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, लक्ष्मीपुर निवासी आरती यादव (25 वर्ष) पर गांव के ही विनोद यादव ने अवैध कट्टे से अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से युवती लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ी। परिजन उसे तत्काल जिला अस्पताल पन्ना लेकर पहुंचे।

प्राथमिक उपचार के बाद युवती की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे रीवा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। परंतु, रीवा ले जाते समय रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आरोपी विनोद यादव का सनकपन यहीं नहीं रुका।

उसने मृतिका के भाई आकाश यादव को भी जान से मारने की नीयत से उस पर फायर झोंक दिया। किस्मत अच्छी थी कि आकाश का निशाना चूक गया और वह इस जानलेवा हमले में साफबच गया। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना प्रभारी रोहित मिश्रा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी विनोद यादव निवासी लक्ष्मीपुर को दबोच लिया। कोतवाली पुलिस के अनुसार, आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हत्या के असली कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। थाना प्रभारी रोहित मिश्रा ने बताया कि मर्ग कायम कर मामले को बारीकी से जांच में लिया गया है। जल्द ही वारदात के पीछे की वजह सामने आ जाएगी।

गांव में पुलिस बल तैनात

उक्त घटना को लेकर गांव में आक्रोश का माहौल देखा गया है। पता चला है कि युवती को गोली मारने के बाद भाग रहे आरोपी विनोद यादव और उसके पिता को बिजली के खंभे से बांध कर उनके साथ भी मारपीट की गई, हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टी नही की है। पुलिस का कहना है कि गांव में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये सुरक्षाबल तैनात किया गया है और मामलें की गहन जांच की जा रही है।

20 को बंद रहेंगे मेडिकल स्टोर

नवभारत न्यूज

पन्ना, 13 मई। 20 मई को अखिल भारतीय बंद के आह्वान पर केंद्र सरकार द्वारा परित जीएसआर 817 ई एवं जी एस आर 220 जिसके द्वारा ऑनलाइन फार्मेसी के संचालन और अवैध ई फार्मेसी और ई प्रसक्रिप्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे न केवल ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 और औषधि प्रशासन अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है बल्कि आम जनता के स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ किया जा रहा है।

इस विषय को लेकर पन्ना जिला औषधि विक्रेता संघ की एक आवश्यक बैठक का आयोजन पन्ना नगरीय क्षेत्र के समस्त कैमिस्ट की उपस्तिथि में दिनांक 11 मई को स्थानीय साईं बाबा मंदिर धर्मशाला में आयोजित की गई और केंद्र सरकार द्वारा जारी जीएसआर 817 ई और 220 के माध्यम से कारपोरेट जगत और बड़े पूंजी पतियों को छोटे व्यापारियों के व्यापार और आम जनता को छूट के नाम पर उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने और लूटने का सख्त विरोध किया गया। औषधि विक्रेता संघ के अध्यक्ष श्रीकांत दीक्षित ने बयान देते हुए कहा कि किसी भी सरकार की प्राथमिकता देश की जनता का उत्तम स्वास्थ्य और शिक्षा होती है परंतु यह बात जानते हुए भी केंद्र सरकार पूंजी पत्तियों को फायदा पहुंचाने के 817 ई और जीएस आर 220 की आड में आम जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने पर आमादा है। जिसका ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन आफकेमिस्ट एंड ड्रगस्ट ने सख्त विरोध करते हुए आगामी 20 तारीख को संपूर्ण भारत बंद का आह्वान किया है जिसको मध्य प्रदेश केमिस्ट एसोसिएशन के साथ पन्ना जिला औषधि विक्रेता संघ का भी पूर्ण समर्थन प्राप्त है इसलिए आगामी 20 तारीख को पन्ना जिला दवा व्यापार पूर्णता बंद रहेगा।

ब्राह्मण समाज व नारी समाज पर टिप्पणी को लेकर थाने पहुंचा सवर्ण संगठन

एफआईआर की मांग

नवभारत न्यूज

पन्ना, 13 मई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी द्वारा कथित रूप से ब्राह्मण समाज एवं नारी समाज पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर अजयगढ़ में विरोध तेज हो गया है।

बुधवार को सवर्ण अधिकारी एवं कर्मचारी संगठन तथा ब्राह्मण समाज के बैनर तले लोगों ने अजयगढ़ थाना पहुंचकर पुलिस को आवेदन सौंपा और आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। दिए गए आवेदन में कहा गया कि ब्राह्मण समाज का देश के इतिहास, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आवेदन में भगवान परशुराम, आचार्य द्रोणाचार्य, आचार्य राघवेंद्र, महर्षि दधीचि, माता अनुसुईया सहित कई ऐतिहासिक एवं धार्मिक व्यक्तित्वों का उल्लेख करते हुए कहा गया कि ब्राह्मण समाज ने सदैव राष्ट्र और समाज के लिए त्याग एवं बलिदान दिया है। आवेदन में आरोप लगाया गया कि राजकुमार भाटी द्वारा ब्राह्मण समाज के खिलाफअपमानजनक, अश्लील एवं अभद्र टिप्पणी की गई है, जिससे समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। संगठन ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी ने अब तक उक्त बयान की निंदा नहीं की है और न ही प्रवक्ता को पद से हटाया गया है।

इंजीनियर अजय तिवारी प्रदेश अध्यक्ष सवर्ण अधिकारी एवं कर्मचारी संगठन के मुख्य संयोजक ने कहा कि यदि कार्यवाही नहीं होती तो हमारा संगठन राष्ट्रीय स्तर का है पूरे देश में आंदोलन का निर्णय ले सकता है। इस दौरान सवर्ण अधिकारी एवं कर्मचारी संगठन के मुख्य संयोजक सहित प्रदेश अध्यक्ष अजय तिवारी सहित प्रांतीय संरक्षक ईश्वर चंद्र त्रिपाठी सतना प्रभा मिश्रा पुष्पेंद्र प्यासी रवि रावत अंकित त्रिपाठी संदीप शुक्ला प्रबल चौबे दिनेश चौबे बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने श्रमयोगी मानधन योजना में पंजीकरण के संबंध में जारी किए निर्देश

नवभारत न्यूज

पन्ना, 13 मई। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को केन्द्र सरकार द्वारा संचालित पेंशन योजना प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का शत प्रतिशत लाभ प्रदान किया जाना है। इसके लिए विशेष अभियान के माध्यम से शिविर आयोजित कर श्रमिकों को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

इस संबंध में कलेक्टर ऊषा परमार द्वारा संबंधित विभाग के अधिकारियों को लक्षित समूह के श्रमिकों का योजना में पंजीकरण करवाने के लिए निर्देशित किया गया है।

जिला कलेक्टर ने जिला प्रबंधक एमपी हाउसिंग बोर्ड, महाप्रबंधक जल निगम, जिला प्रबंधक उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग तथा परियोजना प्रबंधक पीआईयू को अनिवार्य रूप से सभी निर्माण श्रमिकों का पीएम श्रमयोगी मानधन योजना में पंजीयन के निर्देश दिए हैं।

इसी तरह सभी तहसीलदार को ग्राम कोटवार, वनमंडलाधिकारी उत्तर एवं दक्षिण को चौकीदार, कोटवार एवं अन्य श्रमिक, परियोजना प्रबंधक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को समस्त स्वसहायता समूह की दीदियों का पंजीयन सुनिश्चित कराने के लिए कहा गया है। जिला कलेक्टर ने उपायुक्त सहकारिता को सहकारी समितियों के सेल्समैन, जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी को

शासकीय उचित मूल्य दुकान विक्रेताओं, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को आशा कार्यकर्ता, जिला कार्यक्रम अधिकारी को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के पंजीयन के निर्देश दिए गए हैं।

इसी तरह जनपद पंचायत सीईओ को ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले मनरेगा श्रमिक, म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के तहत पंजीकृत श्रमिक, संबल योजना में पंजीकृत श्रमिक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वसहायता समूह में कार्यरत एवं अन्य संगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों का तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी को शहरी क्षेत्रों में कार्य करने वाले पथ विक्रेता एवं दुकानों पर काम करने वाले श्रमिक, म.प्र. भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल व संबल योजना में पंजीकृत श्रमिक सहित राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के स्वसहायता समूह में कार्यरत श्रमिक और अन्य असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के पंजीयन के निर्देश दिए हैं।

स्टाफ के साथ अभद्रता करने वाले शराबी वार्ड बॉय को सीएमएचओ ने किया निलंबित

नवभारत न्यूज

पन्ना, 13 मई। स्वास्थ्य विभाग में अनुशासनहीनता और कार्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफजिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश प्रसाद तिवारी ने देवेन्द्रनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ वार्ड बॉय राजेश कुमार बेन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

उक्त कर्मचारी पर सहकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार करने, हितग्राहियों को बेवजह परेशान करने और ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में रहने जैसे गंभीर आरोप लगे थे। इस मामले की शुरुआत मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी देवेन्द्रनगर द्वारा भेजे गए एक शिकायती प्रतिवेदन से हुई थी, जिसमें कर्मचारी के अमर्यादित आचरण का उल्लेख करते हुए कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई थी। विभाग द्वारा राजेश कुमार बेन को अपना पक्ष रखने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था, जो उन्हें 6 मई को प्राप्त हो गया था। हालांकि, निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी संबंधित कर्मचारी ने कार्यालय में कोई जवाब पेश नहीं किया, जिसे विभाग ने कदाचरण की श्रेणी में माना है। निलंबन की यह कार्रवाई मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के तहत की गई है। आदेश के मुताबिक, निलंबन अवधि के दौरान राजेश कुमार का मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अजयगढ़ नियत किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी। सीएमएचओ ने इस आदेश की प्रतिलिपि आयुक्त स्वास्थ्य सेवा भोपाल और कलेक्टर पन्ना सहित संबंधित विभागों को भेज दी है, ताकि भविष्य में इस तरह की अनुशासनहीनता पर लगाम कसी जा सके।

स्टैण्डिंग कमेटी की बैठक 18 को

म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2026 का कार्यक्रम जारी किया गया है, जिसके तहत शुक्रवार, 15 मई को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऊषा परमार की अध्यक्षता में सोमवार, 18 मई को शाम 5:15 बजे कलेक्टेऊट सभाकक्ष में राजनैतिक दल के साथ स्टैण्डिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई है। इस अवसर पर दावा-आपत्ति के संबंध में आवश्यक सहयोग के लिए चर्चा होगी। साथ ही आयोग के निर्देश मुताबिक नगरीय निकायों की मतदाता सूची की प्रारंभिक प्रकाशन वाली मतदाता सूची का एक सेट भी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल को उपलब्ध कराया जाएगा। बैठक में सर्वसंबंधितों से उपस्थित रहने का आग्रह किया गया है।

पानी के कारोबार में भारी ईजाफा, आधा सैकड़ा हुये कारोबारी लेकिन निगरानी शून्य

नवभारत न्यूज

पन्ना, 13 मई। पानी का निजी बाजार बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है किन्तु मानक के अनुरूप शुद्ध पानी बिक्री हो रहा है इसकी कोई गारंटी नहीं है। सूत्रों की माने तो वर्तमान समय पर केवल पन्ना नगर पालिका क्षेत्र में ही शुद्ध पानी तैयार करने वाले संयंत्रों की संख्या लगभग आधा सैकड़ा से भी अधिक हो चुकी है।

इसी तरह से अन्य नगरीय क्षेत्रों में भी पानी के संयंत्रों की स्थापना बड़ी तेजी के साथ हो रही है इसका मतलब है कि निजी फर्मो के द्वारा तैयार होने वाले शुद्ध पानी की मांग बाजार में बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। यही कारण है कि व्यावसायिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग ऐसे संयंत्रों की स्थापना लगातार करते जा रहे हैं।

कीमत में भी मनमानी:- यह भी देखा जा रहा है कि डिब्बा वाले पानी की कीमतों में भी मनमानी वृद्धि हो जाती है। एक साल पहले 15 से 20 लीटर का डिब्बा 20 रूपये में पहुचाया जाता था वह अब 30 रूपये में बिक्री हो रहा है। इस तरह से एक घर में महीने का 600 रूपये बिल तैयार होता है। किन्तु कई जगह एक से अधिक डिब्बे की मांग होती है। जिससे महीने की आमदमी भी उसी तरह से होती है। इस कारोबार में सबसे बड़ा सवाल पानी की गुणवत्ता को परखने को लेकर है और प्रतिष्ठानों की बैधानिकता को लेकर है। ताकि अमानक व प्रदूषित पानी की आपूर्ति न होने पाये।

कभी ऐसा न हो कि इस तरह के पानी पर भरोसा करके लोगों का स्वास्थ्य खराब होने लगे। इसके बाद पानी की बिक्री करने वाली फर्मे पता चले कि गायब हो गई, या दूसरे स्थानों पर चली गई। उनके खिलाफ फिर कोई कार्रवाई भी नहीं हो सकती क्योंकि कोई प्रमाण भी नहीं मिल पायेगा।

गुणवत्ता के नाम पर कोई निगरानी नहीं

जिस तरह से पानी की दुकाने खुल रही हैं और निजी क्षेत्र में जल शोधन संयंत्र स्थापित हो रहे हैं उसको देखते हुये पानी के गुणवाा की जांच भी होनी चाहिये। भारतीय मानक ब्यूरो के प्रावधानों के अनुसार ऐसी फर्मो के पास प्रमाण पत्र भी होना चाहिये। प्रदूषण नियंत्रण विभाग की अनुमति से लेकर खाद्य विभाग में पंजीयन भी होना चाहिये। किन्तु जितने प्लान्ट स्थापित हैं उनमें से अधिकांश का संचालन अबैधानिक रूप से ही हो रहा है। किन्तु ऐसे प्रतिष्ठानों की जांच नहीं हो रही है। प्रशासन द्वारा इस मामले में आज तक जांच के नाम पर कोई अभियान नहीं चलाया गया ताकि यह पता हो सके कि पानी का कारोबार करने वाले व्यापारी बैधानिक के मामले में कितने जागरूक हैं। यदि नहीं हैं तो उनके खिलाफकार्यवाही क्यों नहीं हो रही है।

सुबह से ही दौडने लगती हैं पानी के डिब्बों की गाडियां

शहर में सुबह से ही ऐसे वाहनों की दौड़ शुरू हो जाती है जो डिब्बों मे पानी लोडकर विभिन्न स्थानों में पहुचाना शुरू कर देते हैं। चूंकि शहर की पेयजल व्यवस्था विश्वसनीय नहीं है इसलिये मध्यम वर्ग व पैसे वाले लोग फिर डिब्बों वाला पानी ही पीना अधिक उपयोगी समझते हैं। भले ही उस पानी की गुणवत्ता की कोई जांच न होती हो। किन्तु देखा जा सकता है कि वर्तमान समय पर हर सरकारी कार्यालय में, शहर में निवास करने वाले कई घरों में डिब्बा वाले पानी का उपयोग धड़ल्ले से हो रहा है।

नगर पालिका प्रशासन के कागजी खोखले प्रयासों से सिंगल यूज प्लास्टिक फिर शुरू

नवभारत न्यूज

पन्ना, 13 मई। नगर पालिका प्रशासन केवल प्रेसनोट जारी कर सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन के कागजी प्रयास को अपना कर्तव्य मान लेता है। कभी भी औचक निरीक्षण एवं कार्यवाही नही की गई, जिस कारण खुलेआम अमानक पॉलिथीन का प्रयोग हो रहा है।

अब न तो कोई मानीटरिंग हो रही है और न ही कोई कार्रवाई। आखिर सिंगल यूज प्लास्टिक कहां से आ रही है। जो लोग बिक्री कर रहे हैं उनके स्टाक एवं स्टोर की जांच नगर प्रशासन क्यों नहीं कर पा रहा है। जिस तरह से बाजार में सिंगल यूज प्लास्टि के बैक पहुच रहे हैं उससे यही समझ में आ रहा है कि नगर निगम के अधिकारियों की सांठगांठ से ही यह सब चल रहा है।

दुकानदारों एवं विक्रेताओ का नहीं किया गया पंजीकरण:- पीडल्यूएम नियम 2016 के नियम 15 के अनुसार किसी भी वस्तु के वितरण के लिये ग्राहकों को प्लास्टिक थैली उपलध कराने के इच्छुक दुकानदार एवं फुटपाथविक्रेताओं का पंजीकरण किया जायेगा। स्थानीय निकायो को नियमों के प्रभावी होने के छः महीने के भीतर पंजीयन करने के लिये निर्देशित किया गया था। कहा गया था कि केवल पंजीकृत दुकानदार एवं विक्रेता ही प्लास्टिक थैली के उपयोग के लिये पात्र होगे तथा स्थानीय निकाय थैली के लिये ग्राहकों द्वारा भुगतान की गई राशि का अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली में उपयोग करेंगे। किन्तु स्थानीय निकायों मे इन नियमों का भी पालन नहीं हो पाया।

नहीं बनाये गये उपनियम:- प्रत्येक स्थानीय निकाय को अपने क्षेत्र में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिये उप नियम बनाना आवश्यक था। किन्तु कोई उपनियम तैयार नहीं किये गये और न ही इस संबंध में कोई विचार ही हुआ। इसलिये प्रभावी तरीके से प्लास्टिक अपशिष्ट को लेकर कोई प्रक्रिया संचालित नहीं हो पाई। यही कारण है कि नगरीय क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के साथ ही प्लास्टिक को भी शामिल कर उठाव किया गया।

प्रतिबंधित प्लास्टिक के प्रयोग पर नहीं हो रही लंबे समय से पहल

नगरीय क्षेत्रों में प्रतिबंधित सिगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिये पूर्व में दिखावे तो बहुत हुये किन्तु कुछ समय बाद जिस तरह से छूट मिली तो अभी तक जारी है। कहने के लिये राजपत्र में प्रकाशन के माध्यम से भी प्लस्टिक वितरण बैग, भण्डारण एवं उपयोग आदि पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की गई थी। किन्तु वह भी केवल फाईलों तक ही सीमित रही। वर्ष 2022 में कम मोटाई वाले सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा चुका है। इसके बाद भी शासन स्तर से न तो सख्त निर्देश हुये और न ही निकायों के स्तर पर कोई पहल। लिहाजा वर्तमान समय पर व्यापक पैमाने पर सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है।

प्रतिबंध के बावजूद सिंगल यूज प्लास्टि का हो रहा उपयोग

प्लास्टिक अपशिष्ट बंधन नियम 2016 के नियम 4(सी) के अनुसार नवीया या पुनर्चक्रित प्लास्टिक के बनी थैलियों की मोटाई 50 माईक्रान से कम नहीं होनी चाहिये। इस मामले में नगरीय निकायों में प्रतिबंध लगाया जा चुका है बावजूद इसके सिंगल यूज प्लास्टि की बिक्री न केवल जारी है अपित उसका उत्पादन भी अबैध तरीके से हो रहा है। किन्तु इस मामले में निगरीय निकायों को कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।

गुनौर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री से 6 नई सड़कों के निर्माण की मांग की

पन्ना, 13 मई। गुनौर विधायक राजेश कुमार वर्मा ने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर 6 पक्की सड़कों के निर्माण की स्वीकृति के संबंध में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से अनुरोध किया है। इस संबंध में प्रेषित पत्र में अवगत कराया गया है कि स्थानीय जनता द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान सड़क निर्माण की लगातार मांग की जा रही है। सड़क स्वीकृत होने से संबंधित ग्रामों तक आवागमन सुगम एवं आसान होगा। विधायक द्वारा मुख्यमंत्री से प्राथमिकता के साथ गुनौर से महाविद्यालय गुनौर तक, समाना से मोहनपुरा तक, खलपुरा से हिनौती बेली तक, कठवरिया से कुशवाहा मड़ैयन तक, बसई से रमपुरा तक तथा मढ़ियाराव से जिजगांव तक पक्की सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति का आग्रह किया गया है।

विधि विवादित बालकों से संबंधित पहचान प्रसारित करने पर होगी कार्रवाई : अवधेश

पन्ना, 13 मई। केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा बाल देखरेख संस्थान में निवासरत बालकों से संबंधित तस्वीरें, वीडियो अथवा पहचान संबंधी अन्य जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित संचार के अन्य माध्यमों से साझा न करने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। बताया गया है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा करते पाए जाने पर यह विधि विवादित बालक एवं देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों की पहचान का कारण बन सकते हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि ऐसे बालकों से संबंधित जानकारी या पहचान किसी भी माध्यम पर प्रसारित न की जाए।

मां बेटे के दोहरे निर्मम अन्धे हत्याकाण्ड का एसपी ने किया खुलासा, आरोपी गिरफ्तार, एसपी हुई भावुक

नवभारत न्यूज

पन्ना, 13 मई। पुलिस अधीक्षक पन्ना श्रीमती निवेदिया नायडू के निर्देशन मे अजयगढ़ के रहुनियां मोहल्ला माधौगंज मे हुये दोहरे जघन्य अन्धे-हत्याकाण्ड के मामले मे सफल खुलासा करते हुये मामले के आरोपी को रामनगर मैहर से गिरफ्तार करने मे सफलता प्राप्त हुई है। मामले मे फरियादी रामनरेश कुशवाहा (मृतिका के जेठ) द्वारा दिनांक 17 सिंतबर 2025 को थाना अजयगढ़ उपस्थित आकर रिपोर्ट की गई की रात्रि मे उसके छोटे भाई की पत्नी एवं उसके 05 साल के बेटे की हत्या किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा कर दी गई है।

फरियादी की रिपोर्ट पर थाना अजयगढ़ मे अज्ञात आरोपी के विरुद्ध सम्बधित धाराओं मे अपराध पंजीबद्ध किया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक पन्ना श्रीमती निवेदिता नायडू द्वारा एस.डी.ओ.पी. अजयगढ़ राजीव सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी अजयगढ हरिसिंह ठाकुर व थाना प्रभारी धरमपुर अनिल राजपूत के नेतृत्व मे सायबर सेल टीम पन्ना को शामिल करते हुये 02 विशेष पुलिस टीमो का गठन किया गया।

उक्त पुलिस टीमो द्वारा घटना स्थल के आसपास एवं संभावित रूट के करीब 200 से अधिक सी.सी.टी.व्ही. फुटेज खंगाले गये एवं घटना स्थल के आसपास व रिश्तेदारो एवं संभावित संदिग्ध व्यक्तियों को अभिरक्षा मे लेकर पूछताछ की गई साथ ही रहुनियां मोहल्ला एंव उसके आसपास किराये से रह रहे बाहरी व्यक्तियों के बारे मे

जानकारी एकत्रित की गई पुलिस टीमो के अथक प्रयासो से जानकारी प्राप्त हुई की रहुनियां मोहल्ले के पास मे ही रह रहा इन्द्रभान साकेत जो घटना दिनांक के कुछ दिन बाद ही कमरा खाली करके चला गया था जिस पर पुलिस टीमो द्वारा उक्त व्यक्ति के सम्बंध मे जानकारी एकत्रित की गई एवं उसकी गतिविधि नजर रखी गई। जिस पर संदेह होने पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये उक्त संदिग्ध व्यक्ति को ग्राम खोमरहा रामनगर मैहर से आज 13 मई को गिरफ्तार कर थाना अजयगढ़ लाकर कड़ाई से पूछताछ की गई जिस पर आरोपी द्वारा बताया गया कि मै मार्च 2025 मे अपनी पत्नि को लेकर मजदूरी करने अपने रिश्ते के जीजा के पास अजयगढ आया था, माधवगंज मोहल्ला मे किराये से कमरा लेकर अपनी पत्नी सहित रहने लगा था एवं अजयगढ मे पार्क के पास चाट का ठेला लगाता था। आज से लगभग साढे सात माह पहले मैने रहुनिया मोहल्ला माधवगंज मे किराना की दुकान चलाने वाली सोनू कुशवाहा के घर मे चोरी करने की योजना बनाकर रात लगभग 11.30 बजे उसके घर के बाहर पहुंचकर उसका दरवाजा खटखटाया तो सोनू कुशवाहा ने दरवाजा खोला तो मैने उसको डराने और उसके बाद उससे रूपये हासिल करने के उद्देश्य से उसको पकडकर उसका मुंह दबाया लेकिन उसने मेरे हांथ मे मुंह से काट लिया और विरोध किया तो मैने उसको जमीन पर पटक दिया और उसकी साडी को उसके गले मे लपेट कर और वही पडा गमछे जैसे कपडे को उसके मुंह मे ठूसकर उसकी हत्या कर दी और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये उसी दौरान उसका एक बेटा जागकर चिल्लाते हुये मेरी ओर आया तो मैने उसका भी गला दबाकर और मुंह मे कपडा ठुसकर उसकी भी हत्या कर दी और फिर रूपयो के लिये उसके घर की सामान की तलाशी ली तो उसके पीछे वाले कमरे मे दाल चावल के डिब्बो मे नगद रूपये व सिक्के लगभग 650 रूपये के मुझे मिले थे मामले मे आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायायल पेश किया गया है जहां अग्रिम कार्यवाही हेतु आरोपी को पुलिस रिमाण्ड मे लेकर पूछताछ की जा रही है।

जानकारी देते समय भावुक हो गई एसपी

उपरोक्त जघन्य हत्याकांड का खुलासा करते समय एसपी पन्ना भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि भले ही उपरोक्त मामलें के खुलासे में 7 माह का समय लगा लेकिन मेरे द्वारा पुलिस टीम को स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि कोई भी गलत व्यक्ति फंसे नही और अपराधी बचे नही। मां एवं मासूम की जघन्य हत्या का मामला था इसलिये मेरे लिये ऐसा कोई दिन नही था कि जिस दिन मै इस मामलें का अपडेट न ले रही हूं। इसके लिये एसडीओपी अजयगढ़ राजीव सिंह भदौरिया, थाना प्रभारी अजयगढ़ हरीसिंह, थाना प्रभारी धरमपुर अनिल राजपूत सहित पूरी टीम को बधाई देती हूं जिन्होंने अथक प्रयासों से इस अंधे हत्याकांड का खुलासा किया जिसका सारा श्रेय पुलिस टीम को जाता है और इसके लिये टीम को पुरूष्कृत करने के लिये भी कार्यवाही की जायेगी।